"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2005—कार्तिक 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक 8192/डी-2461/21-ब/छ.ग./05.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3816/डी-798/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 23-04-2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित जिले पर कॉलम (3) में उल्लेखित अधिकारी को पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम (2)	पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम (3)	जिले का नाम (4)
1.	श्री ए. के. प्रधान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश.	श्री महादेव कातुलकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश.	बिलासपुर

Raipur, the 22nd October 2005

NOTIFICATION

No. 8192/D-2461/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 36 of the Narcotics Drugs and Psychotropic substances, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in this department Notification No. 3816/D-798/XXI-B/C.G./05, dated 23-04-2005, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, In Schedule,—

For the officer mentioned in column (2) of the Schedule, the officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (4) of the said Schedule, namely :—

S. No.	Name of the existing Presiding Officer	Name of the newly posted Judicial Officer	Name of the District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri A. K. Pradhan, Additional Sessions Judge.	Shri Mahadeo Katulkar, Additional Sessions Judge.	Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.